HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 574/2004

इस्लाम अली खां पुत्र असगर अली, निवासी मकान नम्बर 588, नया जालूपुरा, जयपुर

...प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

....विपक्षी

For Petitioner(s)	:	Mr. Hemang Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. S.S. Mehla, PP Mr. Junaid Khan, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

31/01/2024

याची/अभियुक्त (आगे ''अभियुक्त'' कहा जावेगा) को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–9, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 211/99 में पारित निर्णय दिनांक 21.09.02 के माध्यम से धारा 498ए भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया जिसके विरूद्ध अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 98/03 विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 09.06.2004 के माध्यम से खारिज की गयी, **जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका अभियुक्त की ओर से पेश की गयी है।**

यद्यपि यह निगरानी याचिका दोषसिद्धी व दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, लेकिन दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि वे दोषसिद्धी के निर्णय को चुनौती नहीं देते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त 48 दिन की अभिरक्षा व्यतीत कर चुका है, अतः अभियुक्त को भुगती सजा पर छोडे जाने का निवेदन किया तथा निगरानी याचिका को इसी सीमा तक सीमित रखे जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी तथा विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को यथोचित दण्ड से दंडित किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि–सम्मत होना बताते हुए निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

चूंकि गुण–दोषों पर दोषसिद्धी के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा रही है, अतः ऐसी स्थिति में यह निगरानी याचिका दोषसिद्धी की सीमा तक अस्वीकार की जाती है।

अभियुक्त की पत्नी अर्थात परिवादिया द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषी करार देते हुए उपरोक्तानुसार दंडित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दोषसिद्धी का कोई आरोप नहीं है, वह इस मामले में पिछले 25 वर्ष से अधिक समय की अन्वीक्षा/न्यायालयीन प्रक्रिया की यंत्रणा भुगत रहा है तथा 48 दिन अभिरक्षा में भी रह चुका है, अतः अपराध की प्रकृति, अन्य परिस्थितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिये गये एक वर्ष की सजा के

दण्डादेश के स्थान पर भुगती हुई सजा पर छोडा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार यह निगरानी याचिका दण्डादेश के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है तथा अभियुक्त इस्लाम अली खां के संबंध में विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट किये गये निर्णय क्रमशः दिनांक 21.09.2002 तथा 09.06.2004 को उपान्तरित करते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास के स्थान पर भुगती हुई सजा से दंडित किया जाता है।

चूंकि अभियुक्त का पूर्व में दण्डादेश स्थगित हो चुका है, अतः रिहाई संबंधी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

इसी अनुसार यह निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /10